प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

<u>(एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा , न्यायाधिपति)</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 191/2004</u>

राजेंद्र पटेल

<u>बनाम</u>

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दिनांक- 30/07/2012</u> <u>को सूचीबद्ध करें।</u>

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा , न्यायाधिपति)

दाण्डिक अपील क्रमांक 191/2004

अपीलार्थी: राजेंद्र पटेल, पिता किसुन पटेल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी- ग्राम चींचा, थाना पाटन, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) ।

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित :- अपीलकर्ता की ओर से :- श्री एन.एस. धुरंधर , अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से :- श्री संदीप यादव , उप शासकीय अधिवक्ता ।

(निर्णय)

(दिनांक :- 30 जुलाई 2012)

1. यह अपील दिनांक 11-02-2004 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1989' कहा जाएगा) के विशेष न्यायाधीश दुर्ग द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 111/2003 में पारित निर्णय के विरुद्ध

है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/ अपीलार्थी राजेंद्र पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है :-

शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) जाति से सतनामी हैं, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। वे चींचा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक-10-07-2003 को सुबह लगभग 10:15 बजे, वे अपना आधिकारिक कार्य कर रहे थे। उसी समय, अपीलार्थी वहाँ आया और शिकायतकर्ता से अपनी भतीजी निशा को विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए कहा जो लगभग साढ़े पाँच वर्ष की थी। शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी को बताया कि उनकी भतीजी की उम्र 7 वर्ष से कम है, इसलिए 7 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसे विद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है। अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता पर अपनी भतीजी को स्वीकार करवाने के लिए दबाव डाला, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से उसकी भतीजी के पिता को लाने को कहा। इसके बाद, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में अपशब्द कहना शुरू कर दिया और उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से वार किया और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका। इस घटना के साक्षी गजानन (अ.सा.-3) और प्रताप (अ.सा.-4) थे। शिकायतकर्ता ने पाटन पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराई। शिकायतकर्ता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए पाटन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया (प्रदर्श पी-1)। डॉ. एस.ए. अली (अ.सा.-1) ने शिकायतकर्ता की विवेचना की और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दी, जिसमें उन्होंने माथे के बाईं ओर 2 सेमी x 1/4 सेमी का कटा आघात ऊर्ध्वाधर स्थिति का पाया।

आगे की विवेचना में, शिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति (प्रदर्श पी-7) और शिकायतकर्ता का जाति प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-6) को (प्रदर्श पी-5) के माध्यम से जब्त किया गया।

विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। जिसने मामले को अधिनियम, 1989 के तहत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय को सौंप दिया, जिसने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थी को दोषी ठहराया। और उसे उपरोक्तानुसार दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एस. धुरंधर ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका था। शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और यह साबित नहीं करता कि उसे उस समय किसी भी कर्तव्य का पालन करने से रोका गया था। अपीलार्थी को अन्य प्रमुख आरोपों से बरी कर दिया गया है, इसलिए उसे धारा 332 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इसलिए, अपीलार्थी को बरी किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, श्री संदीप यादव, राज्य/प्रतिवादी के लिए विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष

न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन सुने है और विशेष प्रकरण क्रमांक 111/2003 के अभिलेख का भी परिशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2), गजानन (अ.सा.-3) और प्रताप (अ.सा.-4) के साक्ष्यों पर आधारित है।

6. अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष ने डॉ. एस.ए. अली (अ.सा.-1), टेकराम रात्रे (अ.सा.-2), गजानन (अ.सा.-3), प्रताप (अ.सा.-4), तिलोचन (अ.सा.-5), सब इंस्पेक्टर दिलीप चंद्रकार (अ.सा.-6), एस.एल. मिर्चे (अ.सा.-7), रूपसिंह (अ.सा.-8) और एसडीओ (पी) एम.डी. तिवारी (अ.सा.-9) का परिक्षण कराया। अपीलार्थी ने अपने बचाव में डॉ. प्रमोद गुप्ता (विध्वंसक-1) का परिक्षण कराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) ने गवाही दी कि दिनांक 10-07-2003 को सुबह लगभग 10:15 बजे, वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उसी समय, अपीलार्थी वहाँ आया और उनसे अपनी भतीजी निशा का दाखिला कराने के लिए कहा, जो लगभग साढ़े पाँच वर्ष की थी। उन्होंने अपीलार्थी को बताया कि उनकी भतीजी 7 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए 7 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसका दाखिला हो सकता है। अपीलार्थी ने उन पर अपनी भतीजी का दाखिला कराने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता से अपनी भतीजी के पिता को लाने के लिए कहा। इसके बाद,

अपीलार्थी ने उन्हें गंदी भाषा में अपशब्द कहने लगा। उन्होंने आगे गवाही दी कि उन्होंने छात्र को कोटवार को बुलाने के लिए भेजा था। उसी समय, अपीलार्थी ने फिर से उन्हें अपशब्द कहे और एक लकड़ी का डंडा उठाकर उनके माथे पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्हें अपीलार्थी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया था।

8. एस.एल. मिर्चे (अ.सा.-7) ने गवाही दी कि टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) चींचा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ थे। घटना वाले दिन टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) अपने विद्यालय चींचा में उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर (प्रदर्श पी-7) में दर्ज की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. गजानन (अ.सा.-3) और प्रताप (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि घटना वाले दिन, टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) चींचा के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। गजानन (अ.सा.-3) ने गवाही दी कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से अपनी भतीजी निशा को विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए कहा, जिसकी उम्र लगभग साढ़े पाँच वर्ष थी। शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी को बताया कि उनकी भतीजी की उम्र सात वर्ष से कम है, इसलिए सात वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसे विद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है। अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता पर अपनी भतीजी को दाखिला दिलाने के लिए दबाव डाला, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से अपनी भतीजी के पिता को लाने के लिए कहा। इसके बाद, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली देना शुरू कर दिया और उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से हमला किया। शिकायतकर्ता ने घटना की जानकारी तुरंत प्रताप (अ.सा.-4) को दी। प्रताप (अ.सा.-4) ने भी इसी तरह से गवाही दी।

10. टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) ने गवाही दी कि उन्होंने पाटन पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श_पी-2) दर्ज कराई थी। उप निरीक्षक दिलीप चंद्रकार (अ.सा.-6) ने टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) की शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। उप निरीक्षक दिलीप चंद्रकार (अ.सा.-6) ने गवाही दी कि उन्होंने शिकायतकर्ता को चिकित्सकीय परिक्षण के लिए पाटन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा था। डॉ. एस.ए. अली (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि उन्होंने दिनांक 10-07-2003 को टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) का परिक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के माध्यम से दी।

11. टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) के साक्ष्य की पुष्टि गजानन (अ.सा.-3), प्रताप (अ.सा.-4) और चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा विधिवत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत अपराध के संबंध में, किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने या हतोत्साहित करने का इरादा भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के दूसरे भाग के तहत आरोप का एक आवश्यक तत्व है।

13. इस मामले में, घटना के समय, शिकायतकर्ता टेकराम रात्रे (अ.सा.-2) प्रधानाध्यापक के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अपीलार्थी उन पर अपनी भतीजी को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए दबाव डाल रहा था। जब शिकायतकर्ता ने अपनी भतीजी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, तो अपीलार्थी ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और उन पर हमला भी किया। उपरोक्त परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए, यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी का इरादा एक लोक सेवक को उसके लोक सेवक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना या हतोत्साहित करना था।

14. उपरोक्त कारणों से, मुझे माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 332 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज दोषसिद्धि के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती है और उन्होंने अपीलार्थी को धारा 332 भारतीय दंड संहिता के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया है।

15. दंड के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एस. धुरंधर ने तर्क दिया कि घटना दिनांक 10-07-2003 को घटी थी और मामला लगभग 9 वर्षों से लंबित है। घटना के समय, अपीलार्थी उन्माद की द्विध्रुवी भावात्मक विकार से पीड़ित था और वह 5 दिनों तक हिरासत में रहा है, इसलिए उसे वापस जेल भेजने के बजाय, जुर्माने की राशि में वृद्धि की जाए और उसे पहले से भुगती गई अवधि से दण्डित किया जाए।

16. राज्य की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 332 में यह प्रावधान है कि इसके अंतर्गत किए गए अपराध के लिए तीन दोनों में से किसी भांति के कारावास से ,जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से दण्डित किया जायेगा। धारा 332 का परिशीलन यह स्पष्ट करता है कि कारावास का दण्ड आज्ञापक नहीं है।

18. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, डॉ. प्रमोद गुप्ता (अ.सा.-1) के साक्ष्य और इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 332 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए कारावास का दण्ड आज्ञापक नहीं है, मुझे अपीलार्थी को वापस जेल भेजना उचित नहीं समझता। मेरा यह दृष्टिकोण है कि यदि धारा 332 भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, उसे दी गई कारावास के दंड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया जाए और जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाए तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगीs।

19. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। हालांकि, उसे दिए गए कारावास के दंड को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक कम कर दिया जाता है। जहाँ तक जुर्माने का सम्बन्ध है, जुर्माने की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की जाती है। अपीलार्थी को उपरोक्त जुर्माने की राशि जमा करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर उसे 3 महीने के कठोर कारावास का का दंड भुगतना होगा। यदि जुर्माने के रूप में कोई राशि पहले ही जमा की जा चुकी है, तो उसे आज इस न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई जुर्माने की राशि में समायोजित की जाएगी।

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.